माननीय ज्ञाताल सदस्य महोदय मध्य प्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण प्र.क्र. -02

भंवर लाल पिता मुंशी लाल जोशी उम्र 70 साल धंधा कृषि एवं पेंशनर निवासी ग्राम पीपलरांवा तहसील सोनकच्छ जि. देवास संभाग उज्जैन म.प्र ——प्रार्थी

बनाम

गणपत पिता जगन्नाथा मृत वारिसान :–

1. देवा उर्फ देवीसिंह पिता गणपत भील निवासी ग्राम पीपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास संभाग उज्जैन म.प्र

2. श्यामुबाई पुत्री गणपत पति सुरजसिंह जाति भील निवासी ग्राम खाताखेडी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर संभाग उज्जैन म.प्र ——अनावेदक

R-2637-III/2002

दिनांक 21-10-02 को उर्वेन्द्र कैम्प पर श्री एम. एल. मालवीय अभि. द्वारा प्रस्तुत।

21-10-02

पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भु.रा.स. के अधीन (अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालयीन निगरानी.प्र.क. 254/01–02 उनमान भंवरलाल बनाम गणपत मृत वारिसान के अंतिम निर्णय आदेश दिनांक 23/7/02 के विरूद्व)

माननीय महोदय,

यह कि आवेदक की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षण आवेदम पत्र अवधि के भीतर सादर प्रस्तुत है :–

1. यह कि आवेदक ने विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र. के समक्ष मूलवाद धारा 250 म.प्र. भु.रा.स. के अधीन अनावेदक मृतक गणपत पिता जगन्नाथ के विरूद्व दिनांक 6/7/91 को प्रस्तुत किया जो प्र.क्रं. 2/अ–70/90–91 पर दर्ज हुआ जिसमें आवेदक ने अभिवचन किया कि आवेदक ने कस्बा पीपलरांया की कृषि भुमि सर्वे नं. 118/9 एकबा 3.543 हैक्टेयर का धारा 129 भु.रा.स. के अधीन विधिवत् तहसील से सीमांकन प्र.क्रं. 2/अ–12/90–91 में राजस्व निरीक्षक से संपन्न कराया। सीमांकन में उक्त सर्वे नं. के एकबे 1.202 पर अनावेदक का अधिपत्य अवैध अनाधिकृत पाया । जिसको प्राप्ति हेतु यह वाद पेश किया । विचारण न्यायालय ने बाद प्रमाण नवीनतम प्र.क्रं. 1/अ–70/98–99 दर्ज कर दिनांक 19/2/01 को स्वीकार कर लिया। दौरान वाद गणपत की मृत्यु हो गई। उसके वारिसान अवधि में रेकार्ड पर ले लिए गए।

2. यह कि तहसीलदार सोनकच्छ अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19/2/01 के विरूद्व अनावेदक ने प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ के समक्ष अपील क्र. 25/00–01 प्रस्तुत की। जो अवैध रूप से मान्य कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर पुन: सीमांकन नियमानुसार करने का आदेश अंतरिम प्रकार का दिनांक 29/11/01 को प्रदान

निरंतर——2

(192)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(168)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2637-तीन/2002

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 01-09-2016 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	